
 सत्यमेव जयते	<b>कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),          उत्तर प्रदेश, प्रयागराज</b> <b>OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&amp;E)          UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ</b>	 SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA न्यायचिह्नम् शान्तिप्रिया Dedicated to Truth in Public Interest
---	---	---

AE-2/03/WCC/Gr-03/123/2023/Vol-1

दिनांक:-02-06-2026

**समन्वय आदेश**

मुख्यालय एवं महालेखाकार महोदय के निर्देशानुसार, पुराने रेमिटेन्स तथा विविध अग्रिम अवशेषों के निस्तारण हेतु चिन्हित खण्डों के खण्डीय लेखाधिकारियों की संबंधित अनुभागीय लेखाधिकारियों के साथ बैठक दिनांक 05-05-2026, 07-05-2026 एवं 11-05-2026 को निर्धारित था। जिसमें निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी व्यक्तिगत कारण से अनुपस्थित रहे। पुनः उक्त हेतु दिनांक 15-06-2026 को कार्यालय महालेखाकार उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में एकदिवसीय बैठक आयोजित की जानी है। अपने नाम के सम्मुख प्रस्तावित तिथि पर संबंधित खण्डीय लेखाधिकारी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

बैठक हेतु चिन्हित खण्डों के खण्डीय लेखाधिकारियों की चयन पुराने रेमिटेन्स हेड-1 (Remittance Treasury, हेड-2 (Cheques Drawn) तथा विविध अग्रिम अवशेषों (Miscellaneous Works Advance) के आधार पर किया गया है।

बैठक हेतु खंडीय लेखाकार/ लेखाधिकारी की सूची निम्नवत है:

अनुभाग	क्रम सं०	खण्ड का नाम एवं कोड	खंडीय लेखाधिकारी का नाम	अत्यधिक या पुराने लंबित अवशेष	मीटिंग निर्धारित दिनांक एवं तिथि
WA-02	4	निर्माण खण्ड-02, लखनऊ, PWD-459	श्री धर्मेन्द्र प्रसाद	रु-341749633/- (H01), रु13901815/- (H02),	15-जून-2026 (सोमवार)
	5	निर्माण खण्ड भवन, कानपुर नगर, PWD-413	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव	रु-5330061/- (H01), रु28538889.96/- (H02)	
WA-4	9	ज्ञानपुर नहर प्रखण्ड भदोही (IRD-942)	श्री विवेक सिंह	रु18840743/- (H02),	
WA-06	14	नलकूप खण्ड-II, बांदा (IRD-199)	श्री शैलजा गुप्ता	रु48802979/- (H02),	

साथ ही, नामित खण्डीय लेखाकार/लेखाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि रेमिटेन्स एवं विविध अग्रिम अवशेषों के निस्तारण संबंधी आवश्यक दस्तावेज लाना जरूरी है। रेमिटेन्स के अतिरिक्त अन्य लेखा संबंधी विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में उपस्थित खंडीय लेखाकार/लेखाधिकारी अपनी उपस्थिति निर्माण समन्वय रजिस्टर में अंकित करेंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए बैठक में समय से उपस्थित होकर लंबित अवशेषों के प्रभावी निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

यह पत्र वरिष्ठ उपमहालेखाकार/निर्माण एवं पेंशन समन्वय के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

Digitally signed by  
 Rudrakant Singh  
 Date: 03-06-2026  
 10:18:09

वरिष्ठ लेखाधिकारी/निर्माण & पेंशन समन्वय(प्रकोष्ठ)

AE-2/03/WCC/Gr-03/123/2023/Vol-1

दिनांक:-02-06-2026

प्रतिलिपि:

1. वरिष्ठ लेखाधिकारी/ITCG को इस आशय से प्रेषित है कि इस समन्वय आदेश को DAs/DAOs के official Website पर होस्ट करने का कष्ट करें।
2. संबन्धित लेखानुभाग के वर्गाधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/निर्माण & पेंशन समन्वय(प्रकोष्ठ)